न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 70 / 2018

1 सीताराम पुत्र मालाराम उम्र 45 साल जाति माली निवासी कुआ बागवाला ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 फुली पुत्री मालाराम उम्र 42 साल पत्नी भानाराम जाति माली निवासी घाटेश्वर खण्डेला जिला सीकर राज.।
3 बद्री उम्र 39 साल पुत्र मालाराम
4 रामेश्वर उम्र 39 साल पुत्र मालाराम
5 नानग उम्र 35 साल पुत्र मालाराम
6 जगदीश उम्र 33 साल पुत्र मालाराम
जातियान माली निवासीगण कुआ बागवाला ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 केला पुत्री मालाराम उम्र 29 साल पत्नी सुरेश कुमार जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 14 दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
8 प्रभाती देवी पत्नी मालाराम उम्र 70 साल
9 सुलोचना देवी पत्नी सीताराम उम्र 42 साल
10 बोदी देवी पत्नी बद्री उम्र 37 साल जाति माली निवासीगण कुआ साल बागवाला ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 श्योपाल पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।
2 भूमि धारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध
निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.05.2018 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमे उनवानी श्योपाल
बनाम सीताराम वगै. मु.नं. 243/2017 दावा बाबत विभाजन
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 243/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 117 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 305 वाके ग्राम बागोरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली जबाब प्रतिवादी संख्या 5 व शेष समस्त प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत थी। कानूनन सभी पक्षकारों को सुनवाई व प्रतिरक्षा का उपयुक्त अवसर प्रदान कर न्यायालय को विनिश्चित किया जाना चाहिए यही विधि व प्राकृतिक न्याय की मंशा है परन्तु विचारण न्यायालय विधि के सभी सुस्थापित सिद्धान्तों को ताक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

में रखते हुए एकतरफा रूप से वाद वादी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में गलती कानूनी की। प्राकृतिक न्याय का यह प्रमुख सिद्धान्त व सुत्र है कि दुसरे पक्षकार को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान ही नहीं किया। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बागोरा ग्राम पंचायत बागोरा तहसील उदयपुरवाटी के तहत आती है तथा राजस्व विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ही राजस्व लोक अदालत कैम्प आयोजित किए जाते है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्रतिवादीगण को बागोरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित कैम्प हेतु नोटिस तामील कराये गए न ही पक्षकारान उक्त राजस्व लोक अदालत कैम्प बागोरा में उपस्थित हुए जिसकी पुष्टि न्यायालय आदेशिका दिनांक 04.05.2018 से होती है इसके बावजूद उक्त पत्रावली को अगले ही दिन दिनांक 05.05. 2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प उदयपुरवाटी में पेश करना उसमें पक्षकारों के वकीलों को उपस्थित होना अपने आप में विरोधाभाष तथ्य है। इसके अलावा पत्रावली उदयपुरवाटी कैम्प में किसके निवेदन पर ले जाई गई यह भी विचारणीय है। उल्लेखनीय है कि जब दावे के 11 प्रतिवादीगण में से केवल एक प्रतिवादी संख्या 5 की तामील होने पर उसके अभिभाषक ने न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत किया था, तो शेष प्रतिवादीगण की ओर से कौन वकील उपस्थित हुआ, यह भी संदेहास्पद है। राजस्व विभाग के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए जिसमें उभयपक्षकारान ने आपस में राजीनामा कर लिया हो या सभी पक्षकारों की सहमति से निर्णय पारित किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में तो प्रतिवादीगण को दावे की ही जानकारी नहीं थी, पत्रावली तलबी प्रतिवादीगण हेतु नियत थी इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग परिपत्रों के उल्लंघन में होने से स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित 05.05.2018 को निरस्त कर पत्रावली विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जावे कि वे पक्षकारों को सुनवाई एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी श्योपाल द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय की प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में अपीलान्ट के पास चाराजोही का अवसर उपलब्ध है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली जबाब प्रतिवादी संख्या 5 व शेष समस्त प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत थी। विधि अनुसार सभी पक्षकारों को सुनवाई व प्रतिरक्षा का उपयुक्त अवसर प्रदान कर न्यायालय को विनिश्चित किया जाना चाहिए यही विधि व प्राकृतिक न्याय की मंशा है परन्तु विचारण न्यायालय ने विधि के सभी सुस्थापित सिद्धान्तों को ताक में रखते हुए एकतरफा रूप से वाद वादी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है। प्राकृतिक न्याय का यह प्रमुख सिद्धान्त व सुत्र है कि दुसरे पक्षकार को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान ही नहीं किया।

यहां यह भी विचारणीय है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बागोरा ग्राम पंचायत बागोरा तहसील उदयपुरवाटी के तहत आती है तथा राजस्व विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ही राजस्व लोक अदालत कैम्प आयोजित किए जाते है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्रतिवादीगण को बागोरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित कैम्प हेतु नोटिस तामील कराये गए न ही पक्षकारान उक्त राजस्व लोक अदालत कैम्प बागोरा में उपस्थित हुए जिसकी पुष्टि न्यायालय आदेशिका दिनांक 04.05.2018 से होती है इसके बावजूद उक्त पत्रावली को अगले ही दिन दिनांक 05.05. 2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प उदयपुरवाटी में पेश करना उसमें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

पक्षकारों के वकीलों को उपस्थित होना अपने आप में विरोधाभाषी तथ्य है। इसके अलावा पत्रावली उदयपुरवाटी कैम्प में किसके निवेदन पर ले जाई गई यह भी विचारणीय है। उल्लेखनीय है कि जब दावे के 11 प्रतिवादीगण में से केवल एक प्रतिवादी संख्या 5 की तामील होने पर उसके अभिभाषक ने न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत किया था, तो शेष प्रतिवादीगण की ओर से कौन वकील उपस्थित हुआ, यह भी संदेहास्पद है। राजस्व विभाग के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए जिसमें उभयपक्षकारान ने आपस में राजीनामा कर लिया हो या सभी पक्षकारों की सहमति से निर्णय पारित किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में तो प्रतिवादीगण को दावे की ही जानकारी नहीं थी, पत्रावली तलबी प्रतिवादीगण हेतु नियत थी इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग परिपत्रों के उल्लंघन में होने से विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर